भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †468

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण हेतु योजना

†468. डॉ. नामदेव किरसान:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान देश में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;
(ख) उक्त योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;
(ग) इन योजनाओं से अब तक कितने जनजातीय समुदाय लाभान्वित हुए हैं; और
(घ) जनजातीय लोगों के जीवन स्तर में अब तक क्या सुधार हुए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ): सरकार अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास हेतु एक रणनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 40 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर साल अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों के साथ-साथ योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज़ के व्यय प्रोफ़ाइल के विवरण 10बी में लिंक https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf पर दी गई हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

मंत्रालय की योजनाओं का उद्देश्य देश के सभी अनुसूचित जनजाति समुदायों को लाभ पहुंचाना है। कुछ योजनाओं के तहत उपलब्धियां/प्रगति/लाभार्थियों की संख्या **अनुलग्नक II** में दी गई है।

जनगणना से संबंधित डेटा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित प्रबंधन सूचना प्रणालियों और बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षणों, से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में, अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के संबंध में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में काफी सुधार दर्ज किए गए हैं, उदाहरण के लिए, अजजा के लिए साक्षरता दर 2011 (जनगणना) में 59% से बढ़कर (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट (जुलाई 2022- जून 2023) के अनुसार 73.6% हो गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 86.4 (2012-13) से 98.0 (2021-22) तक सुधार हुआ है, माध्यमिक स्तर (IX-X) पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जीईआर 61.9 (2012-13) से बढ़कर 78.1 (2021-22) हो गया है; वरिष्ठ (सीनियर) माध्यमिक स्तर (XI-XII) पर अजजा छात्रों के लिए जीईआर 30.7 (2012-13) से बढ़कर 52.0 (2021-22) हो गया है और उच्च शिक्षा स्तर पर अजजा छात्रों के लिए जीईआर 11.1 (2012-13) से बढ़कर 21.2 (2021-22) हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के अनुसार, शिशु मृत्यु दर 44.4 (2015-16) से घटकर 41.6 (2019-21) हो गई है; पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 57.2 (2015-16) से घटकर 50.3 (2019-21) हो गई है, और संस्थागत प्रसव 68% (2015-16) से बढ़कर 82.3% (2019-21) हो गया है। इसके अलावा, 12-23 महीने की आयु के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 55.8% (2015-16) से बढ़कर 76.8% (2019-21) हो गया है।

अनुलग्नक I

"जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण हेतु योजना" के संबंध में डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †468 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

(i) जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) /प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई): जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए) की योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) की आबादी और अन्य के बीच के गंभीर अंतर को पाटने के लिए और अंतर भरण उपाय के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलापूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, आश्रम स्कूल, बालक और बालिकाओं के छात्रावास, लघु अवसंरचना आदि से संबंधित कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों को 100% अनुदान प्रदान किया गया था। इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के रूप में नवस्वरूपित कर दिया गया है।

मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एकत्र किए गए मिशन अंत्योदय डेटा का विश्लेषण किया है और पीएमएएजीवाई के तहत कवर किए जाने वाले 50% अ.ज.जा. आबादी और 500 अ.ज.जा. वाले 36,428 गांवों की पहचान की है। जनजातीय उपयोजना आवंटन के आधार पर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रासंगिक योजनाओं की पहचान की गई है। राज्यों को राज्य टीएसपी निधि, जिला खनिज निधि (डीएमएफ) और वित्त आयोग अनुदान के साथ पूरक के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। पीएमएएजीवाई के तहत, प्रशासनिक खर्चों सहित अनुमोदित गतिविधियों के लिए 'अंतर-भरण' (गैप-फिलिंग) के रूप में प्रति गांव 20.38 लाख रुपये मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे।

(ii) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का शुभारंभ किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क एवं दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना है।

(iii) प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं, यानी "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" और "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है। योजना के दिशानिर्देश 27 मार्च, 2023 को अधिसूचित किए गए थे।

इस योजना में चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। विशेष एमएफपी मद के मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारित एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि टिकाऊ संग्रहण, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार सूचना विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) वर्ष 1997-98 में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किए गए थे, जिसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (अजजा) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मिडिल (उच्च प्राथमिक) और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे उच्च तथा व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण का लाभ उठा सकें और सरकारी एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में नौकरी प्राप्त कर सकें। 2018-19 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने घोषणा की कि 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 अजजा व्यक्तियों वाला प्रत्येक ब्लॉक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए पात्र होगा। कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाने हैं। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समान होंगे और इनमें खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होंगी।

(v) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान (परंतुक) के तहत, अनुदान अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले, 26 राज्यों को निर्मुक्त किए जाते हैं। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। ये निधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, आदि के क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक कार्यकलापों में अंतरों को पाटने के लिए अ.ज.जा. (एसटी) जनसंख्या की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निर्मुक्त की जाती हैं।

(vi) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत, मंत्रालय आवासीय विद्यालयों, गैर-आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों, सचल औषधालयों, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, आजीविका आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(vii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX - X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रु. से अधिक नही होनी चाहिए। एक वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दिवा छात्रों हेतु प्रति माह 225/- रु. और छात्रावासियों हेतु प्रति माह 525/- रु. की छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों /संघ राज्यक्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर जिसके लिए निधि पोषण अनुपात 90:10 है, को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण तरीका (पैटर्न) 100% केन्द्रीय शेयर है।

(viii) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रतिवर्ष 2.50 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों द्वारा वसूल किए गये अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है जो राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर प्रति माह 230 रु. से 1200 रु. तक की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर, जहां केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच निधि पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण तरीका 100% केन्द्रीय शेयर है।

(ix) अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति: योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियां अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता / परिवार की आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रु. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति – (टॉप क्लास) स्कीम (स्नातक स्तर): इस योजना का उद्देश्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित देशभर के 246 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए अनुसूचित जनजाति (अजजा) के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से परिवार की आय प्रतिवर्ष 6.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन शुल्क, निर्वाह खर्च और पुस्तकों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: एम.फिल और पीएच.डी. के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन हेतु प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार स्वीकृत की जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता : मंत्रालय, जहाँ टीआरआई नहीं हैं वहां नए टीआरआई स्थापित करने और अनुसंधान और प्रलेखन, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत के संवर्धन आदि के प्रति अपने मुख्य उत्तरदायित्व को निभाने के लिए विद्यमान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, अनुसंधान और प्रलेखन, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातीय लोगों द्वारा राज्य के अन्य भागों में एक्सचेंज विजिट (आदान-प्रदान यात्राओं), जनजातीय त्योहारों (उत्सवों) के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियों के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टीआरआई को आवश्यकता के आधार पर शीर्ष (एपेक्स) समिति के अनुमोदन से 100% वित्त पोषण अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। टीआरआई, बजटीय आवश्यकता के साथ पूरे वर्ष के लिए प्रस्ताव और विस्तृत कार्य योजना तैयार करते हैं और इसे राज्य जनजातीय कल्याण विभाग के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। टीआरआई व्यवस्था (सेट) के भीतर सांस्कृतिक संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान प्रकोष्ठ आदि हैं।

(xii) जनजातीय उत्सव, अनुसंधान सूचना और जन शिक्षा: इस योजना के माध्यम से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन पर ध्यान दिया जाता है जिसमें जनजातीय शिल्प और खाद्य उत्सव, खेल, संगीत, नृत्य और चित्र प्रतियोगिताएं, विज्ञान, कला और शिल्प प्रदर्शनी, कार्यशालाएं, सेमिनार, मंत्रालय और राज्यों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म निर्माण, महत्वपूर्ण अध्ययनों पर प्रकाश डालते हुए तत्संबंधी प्रकाशनों को प्रकाशित करना, जनजातीय समुदायों के ऐतिहासिक पहलुओं का दस्तावेजीकरण, नियमित अंतरालों पर अन्य विज्ञापनों आदि के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) और राज्य विभागों की उपलब्धियां शामिल हैं। जनजातीय मुद्दों पर शोध अध्ययनों के अंतर को पाटने के दृष्टिकोण से, जनजातीय कार्य मंत्रालय, उन प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है, जहां विशेषज्ञ मौजूद हैं और जिन्होंने पहले से ही जनजातीय संस्कृतियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में अग्रणी शोध को आगे बढ़ाते हुए एक पहचान बनाई है। यह परिकल्पना की गई है कि उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) को मंत्रालय की समर्पित गतिविधियों के पूरक के रुप में ज्ञान-बैंक (नॉलेज बैंक) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

अनुलग्नक - II

"जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण हेतु योजना" के संबंध में डॉ. नामदेव किरसान द्वारा दिनांक 25.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †468 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - II

जनजातीय कार्य मंत्रालय और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की कुछ योजनाओं के तहत उपलब्धि/प्रगति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	उपलब्धि/प्रगति/अजजा (एसटी) लाभार्थियों की संख्या
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (छात्रवृत्ति की संख्या)	2023-24 में 1259203
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (छात्रवृत्ति की संख्या)	2023-24 में 2845303
3.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी योजना)	2023-24 में 5429
4.	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना (फेलोशिप योजना)	2023-24 में 2975
5.	राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना	2023-24 में 65
6.	वन धन विकास केंद्र	2023-24 में 120341
7.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता	2022-23 में 706902
8.	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में छात्रों का नामांकन	123841 (01.07.2024 तक)
9.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) योजनाएं	2023-24 में 95025
10.	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-ग्रामीण	65.89 लाख घरों को मंजूरी दी गई 2016-17 से अब तक 57.22 लाख घरों का निर्माण किया गया
11.	स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-ग्रामीण)	2014-15 से लगभग 1.50 करोड़ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया
12.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	2023-24 में 90,21,667 अनुसूचित जनजाति किसान
13.	जल जीवन मिशन	अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों में लगभग 1.50 करोड़ घरों में घरेलू नल कनेक्शन की सूचना दी गई
14.	प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना	97,25,647* आयुष्मान कार्ड
15.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	2023-24 में 3067788

* नोट: अजजा का वर्गीकरण केवल एसईसीसी डेटाबेस के लिए उपलब्ध है।

*****